

लक्ष्य एवं उद्देश्य

रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं के दौरान चिकित्सा राहत एवं बचाव उपलब्ध करना ।

रोजगार से पूर्व चिकित्सा जाँच तथा सेवारत कर्मचारियों का आवधिक चिकित्सा परिक्षणों का संचालन करना ।

यात्रा के दौरान बीमार होने वाले यात्रियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध करना ।

बीमारी के कारण श्रमिक कार्य दिवस की हानि को नियंत्रण करना ।

सेवारत रेल कर्मचारियों तथा आर.ई.एल.एच.एस. से जुड़े सेवानिव्रत रेल कर्मचारियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जाँच उपलब्ध करना।

व्यवसायिक परिवेश के कारण पेशागत स्वास्थ्य की निगरानी करना एवं तदसंबन्धित खतरों की रोकथाम करना ।

स्टेशनों व रेलवे कालोनियों के पेयजल की गुणवत्ता की नियमित जाँच करना ।

रेलवे स्टेशनों और रेलवे परिसर में बिक्री की जाने वाली खाद्यसामग्री की गुणवत्ता की नियमित जाँच करना ।

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, कारखाना अधिनियम, पी.एफ़.ए. इत्यादि जैसे विविध सांविधिक शर्तों का क्रियान्वयन करना ।

केंद्र सरकार द्वारा घोषित विभिन्न निवारण तथा प्रोत्साहन संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाने वाली योजनाओं को लागू करना।

Aims & Objectives

To provide medical rescue and relief during railway accidents and for untoward incidents.

To conduct pre-employment medical examination and periodical medical examination of serving employees.

To provide emergency medical treatment to travelling passengers who have fallen sick.

To control man days loss on account of sickness.

To provide total comprehensive health care to serving Railway employees and retired employees who join RELHS

Monitor Occupational Health and prevent health hazards due to occupational environment.

To have regular check on quality of drinking water at stations & railway colonies.

To have regular check on quality of food stuff sold at railway stations and Railway premises.

Implementation of various statutory conditions like WCA, Factory Act, PFA, etc.

Implementation of various Preventive and Promotive health care delivery schemes as announced by Central Government.